

मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4802
21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नमस्ते योजना

4802. श्री महेश कश्यपः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मरीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते) के अंतर्गत जून, 2025 तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;
- (ख) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और राज्यों को यंत्रीकृत स्वच्छता के लिए इसकी शुरुआत से अब तक कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है और इसकी राज्य-वार उपयोग दर कितनी है; और
- (ग) अभिलेखों के अनुसार, सेप्टिक टैंकों पर निर्भर शहरी परिवारों के कितने प्रतिशत को यंत्रीकृत साधनों के माध्यम से नियमित रूप से मल निकासी सेवाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): राष्ट्रीय मरीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य योजना (नमस्ते) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तालमेल से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेर्इ) द्वारा जुलाई, 2023 में शुरू की गई है।

इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। नमस्ते योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित वर्ष 2023-24 से वित वर्ष 2025-26 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 349.73 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ कार्यान्वित की जा रही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) के लिए यंत्रीकृत स्वच्छता हेतु सुरक्षा उपकरण खरीदे जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक नमस्ते के लिए 105.655 करोड़ रु. स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेर्इ) द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, नमस्ते पहल के तहत, मशीनीकृत स्वच्छता के लिए ईआरएसयू द्वारा सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और असम राज्य सरकार को 0.25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

(ग) : भारत की अनुमानित 42 करोड़ शहरी आबादी में से लगभग 50% (4.5 करोड़ परिवार) सेप्टिक टैंक का उपयोग करते हैं। यह मल-कीचड़ को निर्दिष्ट निपटान स्थलों पर सुरक्षित रूप से हटाने और निपटाने के लिए नियमित रूप से डीस्लजिंग सर्विसेज की अत्यंत आवश्यकता को दर्शाता है। लगभग 35% आबादी सीवर नेटवर्क से जुड़ी है, शोधन संयंत्रों में अपशिष्ट जल का कुशल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इस नेटवर्क के नियमित रखरखाव की आवश्यकता है। सीवर सिस्टम और सेप्टिक टैंक, दोनों की नियमित सफाई आवश्यक है - सीवर मैनहोल की रुकावटों को समाप्त करना, और सेप्टिक टैंकों से नियमित रूप से कीचड़ निकाला जाना चाहिए।
